भूखंड आवंटन निरस्त किए जाने की अवधि बढ़ी

लखनऊ। योगी सरकार ने प्राधिकरणों द्वारा आवंटित भूखंड पर तय समय में अपना उद्योग न लगा पाने वाले उद्यमियों को बड़ी राहत दे दी है। अब उनका भूखंड निरस्त कर प्राधिकरणों द्वारा अपने कब्जे में लेने की मियाद 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है। यानी इस तारीख के बाद उनके प्लाट निरस्त होने की कार्यवाही होगी। अभी तक यह मियाद 31 दिसंबर 2022 तक थी।

इस संबंध में औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बुधवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, यूपीसीडा, गीडा व सीडा के सीईओ को पत्र लिखा है।